भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

भाविप्रा हवाई अड्डों ने एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त होने का एक वर्ष पूरा किया

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020:

हमारे ग्रह पर आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण बड़े पैमाने पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं और इसे प्राकृतिक संसाधनों रहित बनाने में अग्रणी हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते और अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक अग्रणी पहल करते हुए देशभर में सितंबर, 2018 में अपने हवाई अड्डों पर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर अपने हवाई अड्डों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया।

माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट आह्वान पर सक्रियतापूर्वक कार्य करने के लिए और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को हराने के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पहले चरण में 35 भाविप्रा हवाई अड्डों नामतः अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, बागडोगरा, भोपाल, भुवनेश्वर, कालीकट, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, इम्फाल, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मैंगलोर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापटटनम को जनवरी, 2019 में 'एकल- उपयोग प्लास्टिक मुक्त **हवाईअड्डा** टर्मिनल' घोषित किया गया।

वर्ष 2019 के दौरान इस मिशन में और अधिक हवाई अड्डे शामिल हुए और अब कुल 85 भाविप्रा हवाई अड्डे प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बन चुके हैं। भाविप्रा हवाई अड्डों की शहर की ओर और यात्री टर्मिनलों से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन प्रयासों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक प्लेटों आदि पर प्रतिबंध लगाना और अन्य पैकेजिंग विकल्पों और रिप्लेसमेंटस को अपनाना शामिल है। भाविप्रा ने अपनी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को भी बढ़ाया है और हवाई अड्डों पर कचरे के डिब्बों में बायो-डिग्रेडेबल कचरा बैग के प्रयोग तथा प्लास्टिक की बोतलों को क्रश करने वाली मशीनें लगाने जैसे पर्यावरण अनुकूलित टिकाऊ विकल्पों के उपयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा दे रहा है।

एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर रोक को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना सुनिश्चित करने के लिए, भाविप्रा हितधारकों सहित अपने हवाई अड्डों पर आंतरिक ऑडिट को अंजाम दे रहा है। भाविप्रा ने नवंबर, 2018 में अपने हवाई अड्डों पर एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रतिबंध के कार्यान्वयन के आकलन/जांच हेतु क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नियुक्त किया है।

पर्यावरण संरक्षण को एक स्थायी संगठनात्मक मिशन बनाने की अपनी खोज में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक पर्यावरण नीति तैयार की है, जो पर्यावरण के संरक्षण हेतु ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) को कम करने की और लागत प्रभावी कार्बन शमन क्रिया को लागू करके सतत विकास की प्रतिबद्धता की परिकल्पना करता है और इस प्रकार से समाज, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करके राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों में योगदान देता है।

इस नीति के एक भाग के रूप में भाविप्रा कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पर्यावरणीय दायित्व को पूरा करने के लिए सभी कर्मचारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध है।

निगमित संचार निदेशालय द्वारा जारी

कृपया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
महाप्रबंधक (नि.सं.) 9811521881, 011-24622787

प्रेस विज्ञप्ति सं. 61/2019-20